

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

[सभा द्वारा पारित]



सत्यमेव जयते

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता  
(तृतीय संशोधन)

अधिनियम, 2003

[अधिनियम संख्या-10/2003]

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय  
द्वारा प्रकाशित ।

**झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता  
(तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003  
[सभा द्वारा पारित]**

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के 54वें (चौवनवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
  - (i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।
  - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
  - (iii) यह अधिनियम दिनांक 16 सितम्बर, 2002 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।
2. झारखण्ड अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या-04, 2001) की धारा-6 का संशोधन-(1) झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम 2001 (अधिनियम संख्या - 04, 2001) में प्रयुक्त शब्द 'दैनिक भत्ता' के स्थान पर शब्द 'प्रभारी भत्ता' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
3. निरसन एवं व्यावृत्ति 1- (1) झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (झारखण्ड अध्यादेश, 02, 2003) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
  - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

यह विधेयक [झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003] दिनांक 10 सितम्बर, 2003 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 10 सितम्बर, 2003 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

**इन्दर सिंह नामधारी,**

अध्यक्ष,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक 28-11-2003

**वेद प्रकाश मारवाह,**

राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

(अमरनाथ झा)

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।